भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1533

मंगलवार, 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1533. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2030 तक देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रतिबद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमानित मात्रा कितनी है और ओडिशा के विभिन्न जिलों में नियोजित निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निवेशों में वैश्विक हाइपरस्केलर्स और घरेलू डेटा सेंटर डेवलपर्स का अनुपात कितना है और इन निवेशों को किन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) क्या ओडिशा में एफडीआई की गति को बाधित करने वाली किसी संरचनात्मक, नियामक, राजकोषीय या प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो ओडिशा सहित देश में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर सुविधाओं की स्थापना के लिए कर और राजकोषीय मंजूरी, पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी अनुमतियों और अन्य महत्वपूर्ण अनुमोदनों के संबंधी में तेजी लाने के लिए कौन से लक्षित सुधार लागू किए जा रहे हैं;

(ङ) ओडिशा और छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर परियोजनाओं की, एफडीआई प्रतिबद्धताओं, हाइपरस्केलर्स/घरेलू निवेशको की हिस्सेदारी, नीति/नियामक संबंधी बाधाओं सहित, वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदनों को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा राज्यों में एफडीआई का हिस्सा और संबंधित अनुमोदनों की राज्य-वार स्थिति क्या हैं; और

(च) इस संबंध में राजस्थान सहित राज्य-वार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। एफडीआई अंतर्वाह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की

उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और निवेश का माहौल, साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय।

(ग) और (घ): मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान, ओडिशा में संसूचित एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1147.75% बढ़कर 47.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

उद्योग जगत ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डेटा सेंटर सेक्टर में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाली किसी भी संरचना संबंधी, विनियामक या प्रक्रियात्मक बाधाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। ओडिशा राज्य सरकार ने डेटा सेंटर के लिए एक अनुकूल ईकोसिस्टम बनाने के लिए ओडिशा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022 लागू की है, जिसमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

i. सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली: डेटा सेंटर को ओडिशा लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है, ताकि गो-स्विफ्ट पोर्टल के माध्यम से समय पर मंजूरी सुनिश्चित की जा सके।
ii. आवश्यक सेवाओं की स्थिति: डेटा सेंटर्स को ईएसएमए (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) के तहत "आवश्यक सेवाएं" घोषित किया गया है ताकि इनका संचालन बिना किसी रुकावट के हो सके।
iii. विद्युत प्रोत्साहन: 5 मेगावाट तक की संविदागत मांग के लिए विद्युत शुल्क से छूट और रियायती विद्युत टैरिफ।
iv. अवसंरचना: राज्य ने डेटा सेंटर के संचालन के लिए आवश्यक हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (ओएसडब्ल्यूएएन) को अपग्रेड किया है।

(ङ) और च): डेटा सेंटर परियोजनाओं, विशेष रूप से एफडीआई प्रतिबद्धताओं का राज्यवार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर, 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. फा. सं. 13/1/2017-आईएनएफ के माध्यम से डेटा सेंटर्स को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की हारमोनाइजेशन मास्टर लिस्ट में शामिल किया है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने डेटा सेंटर नीति भी जारी की है।
